न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अरनोद, जिला प्रतापगढ

पीठासीन अधिकारी – श्री विजयेश कुमार पण्ड्या (R.A.S.)

प्रकरण संख्या – 71/18

दायर दिनांकः– 18.10.2018

निर्णय दिनांकः– 13.05.2019

1. रामलाल पिता रूपा जी मीणा आयु वयस्क
2. किशनलाल पिता रूपा जी मीणा आयु वयस्क
3. बद्रीलाल पिता रूपा जी मीणा आयु वयस्क
4. भेरूलाल पिता धुराजी आयु वयस्क

समस्त निवासी डोराना तहसील अरनोद जिला प्रतापगढ राज0

वादीगण

बनाम

1. श्रीमान जिलाधीश महोदय, प्रतापगढ राज0
2. श्रीमान तहसीलदार महोदय अरनोद

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88,89 रा0टि0एक्ट एवं धारा 136 लै0रे0एक्ट

उपस्थितः– 1–श्री अनिल पान्डे अभिभाषक वादी
2–प्रतिवादीगण कि ओर से तहसीलदार अरनोद उपस्थित

–::निर्णय::–

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हे कि वादीगण द्वारा एक वाद विरूद्व प्रतिवादीगण अन्तर्गत धारा 88,89, आर0टी0ए0 एवं 136 लै0रे0एक्ट इस आशय का पेश किया है कि वादीगण के स्वामित्व आधिपत्य कि निम्न आराजीयात गाव डोराना प0ह0 मोहेडा में स्थित है।

नवीन आराजी न0	रकबा	पुराने आराजी न0	रकबा
651	1.86	282	८।)
803/282	१।)२		
800	2.80	794/556	१४।।।)३
764	2.89	548	१२)।
किता 03	कुल रकबा 7.55 हैक्टर		

उक्त आराजीयात गॉव डोराना प0ह0 मोहेडा तहसील अरनोद में स्थित है।इसके अलावा गॉव नरवाली प0ह0 मोहेडा में स्थित आराजी स0 466 रकबा 2.35है0,जिसके पुराने आ0सं0 403 रकबा ११)स्थित है। उक्त आराजीयात वर्तमान में आशापुरी माताजी साह देह के नाम दर्ज रिकार्ड है।

उक्त आराजीयात पुर्व में स0 2024–27 में वादीगण भेरूलाल के पिता व रामलाल, किशनलाल, बद्रीलाल के दादा धुला पिता वेस्तामीणा के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी। उसके पुर्व स0 2020–23मे भी उक्त आराजीयात धुला पिता वेस्ता मीणा के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी। उसके बाद राजस्व अधिकारियो की भुलवश यह आराजीयात आशापुरी माताजी साह देह के नाम से दर्ज रिकार्ड हो गई। इनके साथ ही गॉव डोराना मे

Scanned with CamScanner

ण पिता शिवा ब्राह्मण के नाम की पैतृक आराजीयात भी इसी प्रकार आशापुरी मंदिर के नाम दर्ज हो

वाद में बताया गया कि गॉव डोराना में आशापुरी माताजी का कोई मंदिर स्थित नही है। राजस्व ारियों के भुल के कारण सहवन से यह आराजी आशापुरी माताजी के नाम से वर्तमान मे चली आ रही है, बकि उक्त नवीन आराजीयात पर वादीगण का स्वामित्व व आधिपत्य चला आ रहा है और वादीगण ने कई मर्तबा उक्त आराजीयात को दुरूस्त किये जाने हेतु राजस्व अधिकारियों से निवेदन किया है परन्तु आज दिन तक उक्त आराजीयात दुरूस्त नही हुई है जबकि यह आराजीयात वादीगण की पैतृक आराजीयात है।

वादीगण का सजरा खानदान निम्न प्रकार है:-

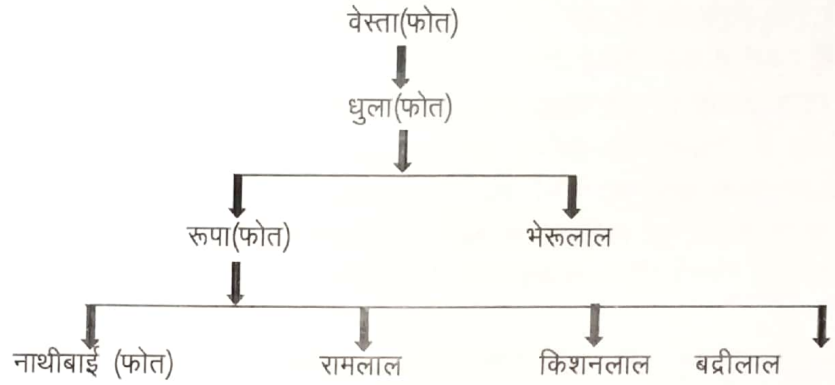

इस प्रकार वादीगण मृतक धुला पिता वेस्ता मीणा के वैध उत्तराधिकारी है। वाद में वर्णित आराजीयात पर वादीगण बिना किसी अवरोध के काबिज काश्त कर फसल बोते व लेते चले आरहे है। इस कारण वादीगण अधिकारी है कि वाद की चरण सं0 1 में वर्णित आराजीयात जो कि वादीगण की पैतृक आराजीयात होने से राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त फरमाया जाकर उक्त नवीन आराजीयात वादीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जावे।

वाद कारण अभी करीब 1 माह पूर्व पैदा हुआ जब वादीगण ने उक्त आराजीयात की नकले प्राप्त की तब से लगातार उत्पन्न है। इस संबंध में वादीगण ने उक्त आराजीयात को अपने नाम दर्ज कराने हेतु अपने अधिवक्ता के मार्फत प्रतिवादी को नियमानुसार धारा 80 सी.पी.सी. के तहत सूचना पत्र प्रेषित किया लेकिन फिर भी उक्त आराजीयात के रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती नहीं कर वादीगण के खाते दर्ज नहीं की है। इससे वादीगण को यह वाद पेश करना आवश्यक हुआ है इत्यादी ।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगणो को नोटिस तामील करवाये गये। प्रतिवादीगण कि ओर से जवाब प्रस्तुत किया जिसमें वाद में वर्णित कथन वादीगण द्वारा स्वयं सिद्ध किये जाने का निवेदन किया। पत्रावली में तनकियात कायम कि गई जो निम्न प्रकार है:-

1. आया कि वाद पत्र की चरण सख्या 1 मेंवर्णित आराजीयात गॉव डोराना पटवार मण्डल मोहेडा एवं गॉव नरवाली प0ह0 मोहेडा भू.अ. चूपना तहसील अरनोद में स्थित होकर वर्णित आराजीयात वादीगण की पैतृक पुश्तैनी आराजीयात होकर जमावंदी संवत 2020-23 से पूर्व वादीगण क्रमांक 1,2,3 के दादा एवं वादी क्रमांक 4 के पिता धुला पिता वेस्ता के नाम से दर्ज रिकार्ड थी?

वादीगण

2. आया कि क्या गॉव डोराना पटवार मण्डल मोहेडा भू.अ. चूपना तहसील अरनोद में आशापुरी माताजी का कोई सार्वजनिक मन्दिर या स्थान नही है?

वादीगण

3. आया कि क्या वाद पत्र की चरण संख्या 1 मेंउल्लेखित अन्य काश्तकारो की पुश्तैनी आराजीयात भी सहवन से आशापुरी माताजी के नाम से दर्ज हो गई है?

वादीगण

4. आया कि क्या वादीगण ने वाद ग्रस्त आराजीयात को अपने नाम पर राजस्व रिकार्ड में घोषित किया जावे इस हेतु प्रति वादी को धारा 80 सी.पी.सी. के तहत सूचना पत्र प्रेषित किया?

वादीगण

5. आया वादी द्वारा प्रस्तुत वाद सुदृढ आधारो पर आधारीत नही होने से निरस्त किये जाने योग्य है?

प्रतिवादीगण

Scanned with CamScanner

वादीगण द्वारा वाद कि ताईद में वादी रामलाल पिता रूपामीणा व भेरू पिता धुला ने स्वयं उपस्थित अपना शपथ पत्र प्रस्तुत कर बयान दर्ज करवाये एवं दस्तावेज प्रदर्शित करवाये जो निम्न प्रकार है:-

गॉव नरवाली प0ह0 मोहेडा में स्थित वाद में वर्णित आराजीयात कीसंवत् 2068-71 की जमाबन्दी की प्रति जो प्रदर्श - 1 है,गॉव डोराना प0ह0 मोहेडा में स्थित वाद ग्रस्त आराजी संवत् 2068-71 की जमाबन्दी की प्रति जो प्रदर्श - 2 है, रजिस्टर्ड सुचना पत्र 80 सी.पी.सी. एवं रसीद जो की प्रदर्श -3 है, मिलानशिट प्रदर्श -4A से 4C है, जमाबन्दी संवत् 2020-23 जो प्रदर्श -5 है, जमाबन्दी संवत् 2024-27 प्रदर्श -6 है, जमाबन्दी सवत् 2024-27 प्रदर्श -7 है, जमाबन्दी संवत् 2028-31 जो प्रदर्श -8 है, जमाबन्दी संवत् 2032-35 प्रदर्श -9 है, जमाबन्दी संवत 2039 जो प्रदर्श -10 है,एवं कन्हैयालाल बनाम जिलाधीश वाद की नकल पेश की जो प्रदर्श -11 है, मृत्यु प्रमाण पत्र रूपा पिता धुरा की प्रति पेश की जो प्रदर्श -12 है, और वादीगण द्वारा अपनी ओर से गवाह स्वयं रामलाल पिता रूपा मीणाPW1, भेरू पिता धुलाPW2, रमेशचन्द्र पिता लक्ष्मीनारायण ब्राह्मण निवासी डोराना PW3, कमलसिह पिता हरीसिहं राजपुत निवासी डोराना PW4,धीरजमल पिता दल्ला मीणा निवासी डोरानाPW5, के शपथ पत्र प्रस्तुत कर बयान कलमबद्ध करवाये गये। प्रतिवादीगण के पेरोकार सरकार को गवाहों से जिरह करने का अवसर दिया गया परन्तु उन्होने गवाहों से जिरह नही की है। प्रतिवादीगण को साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु प्रर्याप्त अवसर दिये गये लेकिन प्रतिवादीगण की और से कोई साक्ष्य या दस्तावेज प्रस्तुत नही किये इसलिए प्रतिवादीगणों की साक्ष्य बन्द की गई। वकिल वादी द्वारा बहस समायन की गई ।

वकिल वादीगण को सुना गया, पत्रावली का अवलोकन किया गया, उपरोक्त विवेचन के आधार पर तनकिवार निर्णय निम्नानुसार है:-

1. आया कि वाद पत्र की चरण सख्या 1 मेंवर्णित आराजीयात गॉव डोराना पटवार मण्डल मोहेडा एवं गॉव नरवाली प0ह0 मोहेडा भू.अ. चूपना तहसील अरनोद में स्थित होकर वर्णित आराजीयात वादीगण की पैतृक पुश्तैनी आराजीयात होकर जमावंदी संवत 2020-23 से पूर्व वादीगण क्रमांक 1,2,3 के दादा एवं वादी क्रमांक 4 के पिता धुला पिता वेस्ता के नाम से दर्ज रिकार्ड थी?

जिम्मे वादीगण

उक्त तनकि को साबित करने का भार वादीगण पर था। चुकी वादीगण ने अपने वाद पत्र में दस्तावेज जमाबन्दी नकल जमाबन्दी संवत् 2020-23(प्रदर्श -5), जमाबन्दी संवत् 2024-27(प्रदर्श -6), जमाबन्दी संवत् 2024-27 (प्रदर्श -7), जमाबन्दी संवत् 2028-31 (प्रदर्श -8), जमाबन्दी संवत् 2032-35 (प्रदर्श -9) एवं मिलानशिट (प्रदर्श -4A से 4C) दस्तावेजो का अवलोकन करने पर एव वादी द्वारा पेश किये गये गवाहो के बयान से यह स्पष्ट है कि वाद कि चरण स0 1 में वर्णित आराजीयात जो गॉव डोराना प0ह0 मोहेडा व गॉव नरवाली प0ह0 मोहेडा में स्थित है, वादीगणो की पैतृक आराजीयात होकर पुर्व में वादीगण भेरूलाल के पिता व रामलाल,किशनलाल, बद्रीलाल के दादा धुला पिता वेस्ता मीणा के नाम दर्ज थी। तनकी नम्बर 1 वादीगण साबीत करने में सफल रहे है इसलिए तनकी नम्बर 1 वादीगण के पक्ष में विरूद्व प्रतिवादीगण तय की जाती है।

2. आया क्या गॉव डोराना पटवार मण्डल मोहेडा भू.अ. चूपना तहसील अरनोद में आशापुरी माताजी का कोई सार्वजनिक मन्दिर या स्थान नहीं है?

जिम्मे वादीगण

उक्त तनकि को साबित करने का भार वादीगण पर था। चुँकी वादी रामलाल पिता रूपा मीणा व भेरूलाल पिता धुला मीणा के बयान एवं वादीगण कि ओर से गवाह कमलसिंह पिता हरीसिंह राजपुत, गवाह धीरजमल पिता दल्ला मीणा एवं रमेशचन्द्र पिता लक्ष्मीनारायण ब्राह्मण के बयान का अवलोकन करने से यह स्पष्ट विदित होता है कि गॉव डौराना में आशापुरी माताजी का कोई सार्वजनिक मंदिर नही है एवं प्रतिवादगण ने भी ऐसी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही किया है। तनकी नम्बर 2 वादीगण साबीत करने में सफल रहे है इसलिए तनकी नम्बर 2 वादीगण के पक्ष में विरूद्व प्रतिवादीगण तय की जाती है।

3. आया क्या वाद पत्र की चरण संख्या 1 में उल्लेखित अन्य काश्तकारो की पुश्तैनी आराजीयात भी सहवन से आशापुरी माताजी के नाम से दर्ज हो गई है?

जिम्मे वादीगण

उक्त तनकि को साबित करने का भार वादीगण पर था। चुकी वादीगण द्वारा प्रस्तुत मिलानशिट (प्रदर्श -4A से 4C) से स्पष्ट होता है कि जमाबन्दी संवत् 2068-71 (प्रदर्श-1 एवं प्रदर्श-2) में दर्ज खसरा नम्बर एवं रकबा

Scanned with CamScanner

...ही है जो कि जमाबन्दी संवत 2020–23 (प्रदर्श–5), 2024–27 (प्रदर्श–6 एवं 7) 2028–31 (प्रदर्श–8 ... 2032–35 (प्रदर्श–9) में दर्ज है और उन्ही खसरा नम्बर से नए खसरा नम्बर बने है। साथ ही वाद के ...थ कन्हैयालाल बनाम जिलाधीश वाद की नकल प्रस्तुत की हुई है। उसके अलावा खुद रमेशचन्द्र ने उक्त वाद ...में गवाह में अपने बयान दर्ज करवाये है जिसमें रमेशचन्द्र ने अपनी पैतृक आराजीयात जो वर्तमान में आशापुरी माताजी के नाम दर्ज होगई है, यह कथन किया है जिससे यह स्पष्ट है कि अन्य काश्तकारो की पुश्तैनी आराजीयात भी सहवन से आशापुरी माताजी के नाम से दर्ज हो गई है। तनकी नम्बर 3 वादीगण साबित करने में सफल रहे है इसलिए तनकी नम्बर 3 वादीगण के पक्ष मे विरूद्व प्रतिवादीगण तय की जाती है।

4 आया क्या वादीगण ने वाद ग्रस्त आराजीयात को अपने नाम पर राजस्व रिकार्ड मे घोषित किया जावे इस हेतु प्रति वादी को धारा 80 सी.पी.सी. के तहत सूचना पत्र प्रेषित किया?

जिम्मे वादीगण

उक्त तनकि को साबित करने का भार वादीगण पर था चुकी वादीगणो ने वाद के साथ 80 सी.पी.सी. का सुचना पत्र एवं रसीद पेश की है जो प्रदर्श–2 है का अवलोकन करने से यह स्पष्ट है कि वादीगणो ने वाद ग्रस्त आराजीयात अपने नाम राजस्व रिकार्ड में घोषित करवाने हेतु सुचना पत्र प्रेषित किया था तनकी नम्बर 4 वादीगण साबित करने मे सफल रहे है। इसलिए तनकी नम्बर 4 वादीगण के पक्ष में विरूद्व प्रतिवादीगण तय कि जाती है।

5. आया वादी द्वारा प्रस्तुत वाद सुदृढ आधारो पर आधारीत नही होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

जिम्मे प्रतिवादीगण

उक्त तनकि को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर था। चुकी प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब में सम्पुर्ण वाद का कथन वादीगण द्वारा सिद्व किये जाने का निवेदन किया था। प्रतिवादीगण की और से पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजुद कोई साक्ष्य या दस्तावेज प्रस्तुत नही किए गए। उक्त तनकी प्रतिवादीगण के विरूद्वएवं वादीगण के पक्ष मे तय की जाती है।

6. अनुतोष –क्या होगा?

उपरोक्त विवेचन के आधार पर पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट प्रतित होता है कि वाद की चरण सं0 1 मे वर्णित गॉव डोराना प0ह0 मोहेडा के नवीन आराजी नम्बर 651 रकबा 1.86है0, आराजी नम्बर 800 रकबा 2.80 है0 , आराजी नम्बर 764 रकबा 2.89 है0 जिसके पुराने आ0न0 282,803 / 282,794 / 556,548 है एवंगॉव नरवाली प0ह0 मोहेडा के नवीन आराजी नम्बर 466 रकबा 2.33है0 जिसके पुराने आ0न0 403 है वर्तमान में आशापुरी माताजी साह देह के नाम दर्ज रिकार्ड है किन्तु उक्त आराजीयात पुर्व में वादीगण रामलाल,किशनलाल, बद्रीलाल के दादा व भेरूलाल के पिता धुला पिता वेस्ता मीणा निवासी डोराना के नाम पर दर्ज रिकार्ड थी। वादीगण ही मृतक श्री धुला पिता वेस्तामीणा के वेध उतराधिकारी भी है।उक्त आराजीयात पर पीढी दर पीढी काश्त कर फसल बोते व लेते चले आरहे है। इसलिए वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर वादीगण को उक्त वर्णित नवीन आराजीयात पर इन्द्राज दुरूस्ती कर वाद मे वर्णित सजरा अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

उक्तानुसार वादीगण के पक्ष में डिकी जारी कर तहसीलदार अरनोद को पालनार्थ तहरीर जारी हो। निर्णय सरे इजलास सुनाया जाकर पत्रावली फेसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

13/5/19

(विजयेश कुमार पड्या)
उपखण्ड अधिकारी
अरनोद

निर्णय आज दिनांक 13.05.2019 को सरे ईजलास सुनाया गया ।

13/5/19

उपखण्ड अधिकारी
अरनोद

Scanned with CamScanner